रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223349
CG-DL-E-26112020-223349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3747] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942
No. 3747] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

का.आ. 4252(अ).— केन्द्रीय सरकार भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह मत है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश जारी करता है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**-(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दुपहिया वाहन धारकों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 है।

(2) यह 1 जून, 2021 से प्रवृत्त होगा।

2. **मानक चिन्हों का अनिवार्य उपयोग**-सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट माल और वस्तु और सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के संगत होगा और उसमें बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना–I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरों से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिन्ह अंकित होगा।

परंतु कि इस आदेश का कुछ भी निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट माल और वस्तु पर लागू नहीं होगा ।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारीः**- सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मालों और वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

सारणी

माल और वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
दोपहिया सवारियों के लिए हेलमेट	आईएस 4151:2015	दोपहिया सवारियों के लिए सुरक्षा हेलमेट

टिप्पण : ब्यूरो द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, उसमें समय समय पर जारी संशोधनों सहित, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[सं. आरटी-11012/07/2012-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

ORDER

New Delhi, the 26th November, 2020

S.O. 4252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Order may be called the Helmet for riders of Two Wheeler Motor Vehicles (Quality Control) Order, 2020.

 (2) It shall come into force with effect from 01st June 2021.

2. **Compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

 Provided that nothing in this Order shall apply to goods and articlesmeant for export.

3. **Certification and Enforcement Authority.-**The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the Table.

TABLE

Goods and articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Helmet for riders of Two Wheeler Motor Vehicles	IS 4151: 2015	Protective Helmet forTwo Wheeler Riders

Note : The latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as may be notified by the Bureau from time to time, shall apply from the date of such notification.

[No. RT-11012/07/2012-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.26 21:58:57 +05'30'